अंर्तराष्ट्रीय वन एवं व्यापार व्यवस्था

अंर्तराष्ट्रीय वन एवं व्यापार व्यवस्था – भारत सह भागिता नियमावली

1. **परिचय**

अंर्तराष्ट्रीय वन एवं व्यापार व्यवस्था (GFTN) लकड़ी की अवैध कटान के उन्मूलन एवं वन–प्रबन्धन को सुधारोन्मुख करने हेतु विश्व वन जीवन कोष (WWF) द्वारा की गई एक पहल है। GFTN, दायित्वपूर्ण वानकी की प्राप्ति एवं उसके समर्थन हेतु कृत–संकल्प कंपनियों के बीच व्यापार संबंधों को सुलभ कराते हुये विश्व के बहुमूल्य तथा क्षति प्रायः वनों के संरक्षण तथा इस वन सम्पदा पर निर्भर व्यक्तियों तथा कारोबार हेतु अनुकूल आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को जन्म देती है। GFTN के अनुसार, स्वतंत्र एवं बहुत हितधार आधारित वन प्रमाणीकरण, दायित्वपूर्ण वन–प्रबन्धन एवं समस्त वितरण प्रणाली में काष्ठ उपज के दायित्वपूर्ण व्यापार के प्रोत्साहन का एक महत्वपूर्ण तरीका है।

सहभागिता के यह नियम सभी GFTN प्रतिभागियों पर लागू है।

2. **प्रतिभागी**

2.1 **प्रतिभागिता की पात्र संस्थायें** :–

GFTN में प्रतिभागिता अधोलिखित प्रकार की संस्थायों हेतु उपलब्ध है :

- वन प्रबन्धक : काष्ठ के दोहन हेतु वन प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी कम्पनियां, समुदाय एवं अन्य इकाइयाँ
- रूपान्तर रत : आरा मशीनें, प्लाईवुड एवं विनियर मिलें, लुगदी एवं कागज बनाने वाली मिलें
- उत्पादक : कच्चे माल हेतु वनों पर आधारित वस्तुओं के उत्पादक
- व्यापारी : वन उत्पाद के फुटकर व्यापारी, आयातकर्ता, निर्यातकता तथा अन्य वितरक
- पहचानकर्ता : वन उत्पाद की पहचान (वर्गीकरण) करने वाले वास्तुविद, अभियंता तथा अन्य
- उपभोक्ता : निर्माण कार्य करने वाली कम्पनियां तथा तैयार वन उत्पाद का उपयोग करने वाली अन्य कम्पनियां

2.2 <u>प्रतिभागियों की श्रेणियां</u> :

GFTN में सहभागिता की दो मुख्य श्रेणियां हैं : वन सहभागी एवं व्यापार सहभागी (देखें : धारा 14 में परिभाषायें)। ऐसे प्रतिभागी हेतु, जिसका कार्य निष्पादन दोनों श्रेणियों में फैला हो, अनिवार्य है कि वह वन सहभागी एवं व्यापार सहभागी, दोनों के रूप में सम्मिलित हो और वन सहभागिता एवं व्यापार सहभागिता दोनों श्रेणियों हेतु सहभागिता की शर्तों को पूरा करे।

2.3 <u>स्थानीय **GFTN** कार्यालय की मेजबान, संस्था से हुये समझौते के माध्यम से सहभागिता</u>

सहभागी द्वारा GFTN में सहभागिता का औपचारीकरण, सहभागी द्वारा GFTN के किसी स्थानीय कार्यालय की मेजबान संस्था के साथ हुये समझौते के अधीन होना चाहिए। सहभागिता निविदा के तहत इन नियमों को सम्मिलित करना तथा इनका अनुपालन अनिवार्य हो।

2.4 <u>स्थानीय **GFTN** कार्यालय</u>

धारा 2.3 के उद्देश्य से, स्थानीय GFTN कार्यालय, एक ऐसा कार्यालय है जिसका मुख्यालय, उस देश या क्षेत्र में स्थित हो जहां उसको कार्य करना हो अथवा जहां इसके वन व्यवसाय का अधिकांश कार्य होता हों

ऐसा व्यापार सहभागी जिसका कार्य संचालन कई देशों में फैला हो। GFTN में किसी एक स्थानीय GFTN कार्यालय के साथ हुये सहभागिता समझौते द्वारा, अथवा विभिन्न GFTN कार्यालयों के साथ समानान्तर समझौते करके सम्मिलित हो सकता है।

भारत में GFTN कार्यालय WWF (भारत) के नई दिल्ली स्थिति सचिवालय में है।

3. <u>**GFTN** भारत के सभी सहभागियों के लिए अनिवार्य :</u>

सहभागी के लिए अनिवार्य है :

3.1 <u>सहभागिता की सीमा की परिभाषा</u>

सहभागी द्वारा यह स्पष्ट कियाजाना आवश्यक है कि GFTN भारत के साथ सहभागिता के प्रारंभिक चरण में कौन कौन सी वन प्रबंधन इकाइयां, रूपान्तर सुविधायें, उद्योगशालायें, क्रय विक्रय लीन व्यवसायिक संगठन एवं वन उत्पाद सम्मिलित होंगी, तथा कालांतर में GFTN भारत के साथ हुये समझौते के अधीन विस्तार स्वरूप इसमें अतिरिक्त वन प्रबन्धन इकाइयों, रूपान्तर सुविधाओं,

उद्योगशालाओं क्रय–विक्रय लीन व्यापारिक संगठनों और उत्पाद श्रंख्लाओं को सम्मिलित किया जायेगा।

3.2 एक वरिष्ठ प्रबंधक का नामांकन

सहभागी अनिवार्य रूप से, एक समुचित वरिष्ठता प्राप्त वरिष्ठ प्रबंधक को, जिसका उत्तरदायित्व सहभागी द्वारा प्रकट की गई कटिबद्धता की प्राप्ति हो, नामांकित करेगा। GFTN भारत से दिन प्रतिदिन संपर्क बनाये रखने हेतु सहभागी किसी अन्य व्यक्ति का चयन कर सकता है।

3.3 संचार संहिता का अनुपालन

सहभागी अनिवार्यतः GFTN संचार संहिता व्यवहार (देखें धारा 13) का अनुपालन करेगा।

3.4 सहभागिता हेतु स्वीकृत सहायता धनराशि

GFTN भारत हेतु सफल आवेदक, सहभागिता हेतु स्वीकृत देय सहायता धनराशि का भुगतान GFTN भारत कार्यक्रम में योगदान हेतु, देय तिथि तक कर देगा।

सहभागियों की विभिन्न श्रेणियों हेतु, लकड़ी के वार्षिक कारोबार पर आधारित, स्वीकृत धनराशि का स्वरूप निम्नवत है

GFTN भारत वार्षिक सहभागिता हेतु स्वीकृत सहायता राशि	
लकड़ी का वार्षिक बारोबार (रू)	सहायता राशि (रू)
25,000,000 से कम	0
25,000,000 – 500,000,000	50,000
500,000,000 – 2,500,000,000	200,000
2,500,000,000 – 5,000,000,000	400,000
5,000,000,000 – 25,000,000,000	500,000
25,000,000,000 – 50,000,000,000	1,000,000
50,000,000,000 से अधिक	1,200,000

3.5 प्रतिस्पर्धा नियमों का अनुपालन

सहभागी को अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले देशों में लागू, प्रतिस्पर्धा एवं विश्वास रोधक विधानों का आदर करना होगा तथा GFTN भारत के तत्वाधान वाले किसी भी मंच का उपयोग, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, या गतिविधियों के बारे में ऐसी चर्चायें करने के लिए नहीं करना है जो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझी जा सके।

4. वन प्रतिभागियों हेतु विशिष्ट शर्तें

विश्वसनीय वन प्रमाणीकरण हेतु एक चरण बद्ध अवधारणा अनिवार्यता के इन नियमों की आधारभूत आवश्यकता है। एक वन सहभागी हेतु अनिवार्य है :–

4.1 वन विभाग के प्रमाणपत्रों एवं संबंधित सूचनाओं को उपलब्ध कराना

सहभागिता की परिधि में आने वाली प्रत्येक वन प्रबंधन इकाई हेतु, सहभागी को एक वैद्य वन प्रबंधन प्रमाण पत्र (जो एक विश्वसनीय वन प्रमाणीकरण व्यवस्था द्वारा निर्गत हो) मुख्य प्रमाणीकरण सूचनाएं एवं उसके पश्चात प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निरीक्षण दौरों के फलस्वरूप जारी अन्य सूचनाओं / टिप्पणियों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4.2 समस्त वन प्रबंधन इकाईयों के प्रमाणीकरण हेतु कटिबद्धता

सहभागी की ओर से उसके प्रबंधन में, GFTN भारत कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले देश / देशों में स्थित प्रत्येक वन प्रबंधन इकाई के प्रमाणीकरण, तथा प्रमाणीकरण की दिशा में उठाये गये कदमों के प्रति कटिबद्धता की सार्वजनिक लिखित घोषणा अनिवार्य है।

सहभागी के लिए आवश्यक है कि :–

(क) सहभागिता प्रारंभ होने की तिथि पहले से ही विश्वसनीय ढंग से प्रमाणित अथवा तदोपरान्त प्रमाणित प्रत्येक वन प्रबंधन इकाई के प्रमाणीकरण का ब्यौरा रखा जाये।

(ख) सहभागिता प्रारंभ होने की तिथि से गणित पांच वर्षों के भीतर कम से कम एक वन प्रबंधन इकाई का विश्वसनीय प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाये।

(ग) अन्य सभी वन प्रबंधन इकाईयों का विश्वसनीय प्रमाणीकरण सहभागिता के प्रारंभ होने की तिथि से गणित दस वर्षों के भीतर प्राप्त किया जाये।

(घ) सहभागिता की परिधि में आने वाली प्रत्येक वन प्रबंधन इकाई हेतु इकाई के सहभागिता की परिधि में आने के एक वर्ष के भीतर जंगल से प्रथम विक्रय बिन्दु तक काष्ठ मार्ग निर्धारण पद्धति बनाई जाये।

4.3 प्रत्येक अप्रमाणित वन प्रबंधन इकाई में एक कार्य योजना का कार्यान्वयन

सहभागिता की परिधि में आने वाली प्रत्येक अप्रमाणित वन प्रबंधन इकाई हेतु सहभागी अनिवार्यतः

(क) समुचित योग्यता एवं अनुभव प्राप्त दल के साथ एक तटस्थ परीक्षक द्वारा आधार भूत आंकलन की व्यवस्था इस उद्देश्य से करायें कि :–

विश्वसनीय वन प्रमाणीकरण हेतु प्रासंगिक मानदण्डों का वन प्रबंधन इकाई द्वारा पालन का आंकलन हो तथा अनुपालन के प्रति उदासीन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनपर सहभागी को विश्वसनीय प्रमाणीकरण प्राप्त हेतु ध्यान देना है।

(यह सुनिश्चित हो कि) क्या सहभागी को वन प्रबंधन इकाई में दोहन का वैधानिक अधिकार है।

यदि सहभागी द्वारा किये जा रहे दोहन के इस वैधानिक अधिकार को किसी अन्य पक्ष द्वारा चुनौती दी गई है तो सहभागी के लिए आवश्यक है कि वह या तो इस मतभेद के पूर्व निवारण – स्वैक्षिक समझौते अथवा न्यायालय के आदेश द्वारा – का साक्ष्य प्रस्तुत करें, अथवा बारह माह के भीतर इसके संतोषजनक निवारण का वचन दें – इस शर्त के साथ कि वचन पूर्ण न होने की दशा में प्रबंधन को अधिकार होगा कि सहभागी को लंबित कर दें।

(ख) पांच वर्षों के भीतर विश्वसनीय वन प्रमाणीकरण तथा एक वर्ष के भीतर जंगल से प्रथम विक्रय बिन्दु तक, काष्ठ मार्ग निर्धारण पद्धति के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक कार्य–योजना तथा इस दिशा में समय बद्ध प्रगति की सूचना प्रस्तुत करें।

(ग) इस कार्य योजना को कार्यांवित करें तथा इसमें बतायें लक्ष्यों की उत्तरोत्तर प्राप्ति करें।

(घ) कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का वार्षिक ब्यौरा प्रस्तुत करें। यह ब्यौरा अनिवार्यतः एक यथोचित योग्य एवं अनुभवी दल द्वारा कार्य स्थल आधारित आंकलन के आधार पर, प्रबंधन द्वारा मान्य एवं सुलभ करायें गये प्रारूप में होना चाहिए। साथ ही प्रगत ब्योरे में किये गये दावों के सत्यापन हेतु सहभागी प्रबंधन अथवा प्रबंधन द्वारा नामित आंकलनकर्ता द्वारा निरीक्षण की अनुमति दें।

4.4 प्रासंगिक विधानों का अनुपालन

सहभागी केवल वैधानित रूप से दोहन किये गये काष्ठ की आपूर्ति करेगा तथा समय से देय दोहन व्ययों का भुगतान करेगा।

4.5 उत्पादन की मात्रा की सूचना

सहभागी अनिवार्यतः काष्ठ – उत्पादन की वार्षिक सूचना का सारांश प्रस्तुत करेगा। यह आंकड़े प्रबंधक द्वारा मान्य एवं सुलभ कराये गये प्रारूप में, सहभागिता की परिधि में आने वाली प्रत्येक वन प्रबंधन इकाई के आंकड़ों के समावेश सहित होंगे। इनमें निम्नलिखित सूचनायें होंगीः–

– दोहित काष्ठ की प्रजातियां अथवा वणिकीय वर्ग

– प्रत्येक प्रजाति अथवा वणिकीय वर्ग की मात्रा

– विक्रित अथवा हस्तांतरित काष्ठ का रूप एवं मात्रा

5. व्यापार सहभागिताओं हेतु विशिष्ट शर्तें

इन नियमों हेतु चरण बद्ध एवं दायित्वपूर्ण क्रय की अवधारणा, आधारभूत है। व्यापारिक सहभागी हेतु आवश्यक है

5.1 वन उत्पादों के दायित्वपूर्ण स्त्रोतिकरण के प्रति कटिबद्धता

व्यापारिक सहभागी GFTN भारत को अनिवार्यतः वन–उत्पादों के दायित्वपूर्ण क्रय के प्रति तथा अपने संचालन के प्रासंगिक कटिबद्धता का द्योतक एक सार्वजनिक एवं लिखित नीति घोषणा पत्र सुलभ करायें।

5.2 अवांछित स्त्रोतों से प्राप्त काष्ठ का उन्मूलन

सहभागिता की परिधि में आने वाले तथा सहभागी द्वारा क्रय किये हुये सभी वन उत्पादों के प्रति, धारा 5.1 के अंतर्गत, सहभागी द्वारा प्रस्तुत लिखित नीति घोषणा पत्र में, अनिवार्यतः सहभागी यह कटिबद्धता दर्शाये कि :–

(क) पांच वर्षों के भीतर अवांछित स्त्रोतों से उत्पन्न होने वाले काष्ट के उपयोग का उन्मूलन होगा, तथा

(ख) प्रगामी आधार पर निम्नलिखित वर्ग व्यवस्था (निम्न से उच्च की दिशा में दर्शित) में से उच्च स्तरीय पर्यावरणीय स्तरों वाले स्त्रोतों से उत्पन्न काष्ठ के अनुपात में वृद्धि होगी

– परिचित

– परिचित एवं अनुज्ञापित

– प्रमाणीकरण की दिशा में उन्मुख

– विश्वसनीय रूप से प्रमाणित अथवा पुर्नचक्रित

– उपरोक्त की परिभाषाओं हेतु धारा 14 देखें

5.3 दायित्व पूर्ण क्रय योजना का लागू करना तथा समय बद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति

सहभागी अनिवार्यतः

(क) सहभागिता की परिधि में आने वाली तथा सहभागी द्वारा क्रय किये गये वन उत्पादों में प्रयुक्त समूची काष्ठ की पर्यावरणीय स्थिति वर्ग के निर्धारण पर, एक समुचित योग्यता एवं अनुभव प्राप्त दल की सहायता से तैयार एक तटस्थ परीक्षक के मूल रेखा आंकलन, की व्यवस्था एवं प्रस्तुति करेगा। प्रबंधक, यदि चाहे तो किसी प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के परीक्षक हेतु अनुमति दे सकता है, इस परिस्थिति में सहभागी अनिवार्यतः मूलरेखा आंकलन में किये गये दावों की पुष्ठि हेतु प्रबंधन अथवा उसके द्वारा नामित आंकलनकर्ता द्वारा जांच की अनुमति देगा।

(ख) वन उत्पादों के दायित्वपूर्ण क्रय हेतु अपनी नीतियों को लागू करने हेतु समय बद्ध लक्ष्यों एवं चरणों को दर्शाने वाली एक वार्षिक योजना प्रस्तुत करेगा। प्रारंभिक कार्य योजना में यह स्वीकार किया जा सकता है कि पारदर्शिता एवं परीक्षणता की प्राप्ति हेतु आगे भी कार्य की आवश्यकता है।

(ग) कार्य योजना का कार्यान्वयन एवं उसमें चिन्हित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति सुनिश्चित करेगा।

(घ) प्रबंधक द्वारा मान्य प्रारूप में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सुलभ करायेगा। सहभागी आवश्यक रूप से, प्रगति रिपोर्ट में किये गये दावों के सत्यापन हेतु प्रबंधक अथवा उसके द्वारा नामित आंकलनकर्ता द्वारा जांच की अनुमति देगा।

5.4 हस्तगति की श्रृंख्ला के प्रमाणीकण के प्रति कटिबद्धता

सहभागिता की परिधि में वन उत्पादों के रूपान्तर, परिवर्तन तथा विक्रय में प्रयुक्त सभी सुविधाओं हेतु एक विश्वसनीय हस्तगति श्रृंख्ला के प्रमाणीकरण की प्राप्ति सहभागी को अनिवार्यतः करनी होगी। सहभागी इन में से एक सुविधा या उत्पाद वर्ग हेतु सहभागिता की प्राप्ति एक वर्ष के भीतर, तथा अन्य ऐसी सुविधाओं हेतु, उन सुविधाओं के सहभागिता की की परिधि में आने के पांच वर्षों के भीतर हस्तगति प्रमाणीकरण श्रृंख्ला अनिवार्यतः प्राप्त करेगा।

सहभागी आवश्यक रूप से उसके द्वारा प्राप्त सभी हस्तगति श्रृंख्ला प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां, तथा इन प्रमाणपत्रों के संबंध में प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किये गये पर्यवेक्षण दौरों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

सहभागी अपने द्वारा सहभागिता के प्रारंभ की तिथि को उपलब्ध एवं तदोपरान्त प्राप्त समस्त हस्तागति श्रृंख्ला प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियों को सजोकर रखेगा।

प्रत्येक ऐसी सुविधा हेतु, जो हस्तगति श्रृंख्ला प्रमाणीकरण विहीन हो, सहभागी अनिवार्यतः

(क) हस्तगति श्रृंख्ला प्रमाणीकरण की आवश्यकताओं के प्रति अनुपालन विहीन क्षेत्रों के पहचान करने वाले तथा यह तय करने वाले कि क्या हस्तगति श्रृंख्ला व्यवस्था प्रमाणीकरण योग्य है, एक आधाररेखा भूत आंकलन की व्यवस्था एवं प्रस्तुत करेगा। यह आंकलन अनिवार्यतः एक समुचित योग्यता एवं अनुभव वाले दल की सहायता से एक तटस्थ परीक्षक (उदाहरणार्थ एक मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्था) द्वारा किया जाना चाहिए।

(ख) समय बद्ध लक्ष्यों तथा हस्तगति श्रृंख्ला प्रमाणीकरण की प्राप्त हेतु उठाये जाने वाले कदमों को तय करने वाली एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा।

(ग) कार्य योजना का कार्यान्वयन करते हुये उसमें इंगित प्रगति के लक्ष्यों की प्राप्त सुनिश्चित करेगा।

(घ) प्रबंधक द्वारा स्वीकृत प्रारूप के कार्ययोजना के कार्यान्वन की वार्षिक प्रगति की सूचना उपलब्ध करायेगा।

इस प्रगति रिपोर्ट में किये गये दावों के सत्यापन हेतु सहभागी, प्रबंधन अथवा उसके द्वारा नामित आंकलनकर्ता द्वारा निरीक्षण की अनमुति देगा।

5.5 <u>वन उत्पादों के क्रय संबंधी आंकड़ों की सूचना</u>

सहभागी, अनिवार्यतः, सहभागिता की परिधि में आने वाले वन उत्पादों के क्रय का एक वार्षिक सारांश प्रस्तुत करेगा। यह आंकड़े, प्रबंधक द्वारा मान्य प्रारूप में होंगे तथा इनमें निम्नलिखित सूचनायें सम्मिलित होंगी :–

(क) उत्पादों में प्रयुक्त काष्ठ प्रजातियां अथवा काष्ठ प्रजातियों के वणिक वर्ग

(ख) प्रत्येक काष्ठ प्रजाति अथवा उत्पादों में प्रयुक्त वणिक वर्गों की मात्रा

(ग) सभी काष्ठ आधारित मूल सामग्रियों (लट्ठे, आरी से कटी, मशीन से रूपांतरित लकड़ी, लुगदी, कागज आदि) का रूप एवं उनकी मात्रा का विवरण जो सहभागी द्वारा रूपांतर, उत्पादन, क्रय विक्रय अथवा निर्माण हेतु क्रय की गई हो।

(घ) उत्पादों में प्रयुक्त काष्ठ की पर्यावरणीय प्रतिष्ठा

6. सहभागिता हेतु आवेदन

GFTN भारत में सहभागिता हेतु कोई भी संस्था प्रबंधक को एक पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र प्रेषित कर के आवेदन कर सकती है।

आवेदन स्वीकार करने से पूर्व प्रबंधक द्वारा यथोचित चेतन अनिवार्य हैं, वह किसी संस्था का आवेदन अधोलिखित कारणों में से किसी एक कारण के फलस्वरूप अस्वीकार कर सकता है।

क संस्था की GFTN भारत के साथ सहभागिता के फलस्वरूप WWF अथवा GFTN के उद्देश्य, निष्कपटता, विशेष छाप अथवा ख्याति को हानि का भय

(ख) सहभागिता नियमों के पालन में संस्था की असमर्थता

(ग) GFTN भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं तथा संस्था के कार्यकलाप में तालमेल का अभाव

6.1 आवेदक का स्थिति

प्रबंधक, संस्था को यह सूचना देगा कि क्या संस्था का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है तथा उसका पंजीकरण GFTN भारत के सहभागी के रूप में हो गया है। यदि प्रबंधक यह निर्णय लेता है कि संस्था का आवेदन न स्वीकार किया जाये और उसे न पंजीकृत किया जाये तो प्रबंधक को इसके कारण स्पष्ट करने होंगे।

6.2 अप्रमाणित वन प्रबंधक इकाइयों हेतु आधार रेखा भूत आंकलन एवं कार्य योजनायें

सहभागिता समझौते पर हस्ताक्षर से पहले आवेदक, प्रत्येक वन प्रबंधन इकाई हेतु, जो सहभागिता की प्रारंभिक परिधि में प्रस्तावित है, परन्तु प्रमाणित नहीं है, एक आधार रेखा भूत आंकलन कराने तथा कार्य योजना तैयार करने के पश्चात ही धारा 4.3 की आवश्यकताओं के अनुसार, वन सहभागी बन सकता है।

6.3 दायित्वपूर्ण क्रय हेतु आधार रेखा भूत आंकलन एवं कार्य योजनायें

सहभागिता समझौते पर हस्ताक्षर से पहले, व्यापार सहभागी बनने हेतु, आवेदनकर्ता अनिवार्यतः धारा 5.3 की आवश्यकताओं के अनुसार एक आधार रेखा भूत आंकलन से गुजरेगा तथा कार्य योजना तैयार करेगा। प्रारंभिक कार्य योजना में यह संज्ञान हो सकता है कि पारदर्शिता तथा परीक्षणता के उच्च्व स्तरों की प्रापित हेतु आगे भी कार्य की आवश्यकता है।

6.4 सहभागिता समझौते के माध्यम से स्वीकृति

यदि प्रबंधक संतुष्ट है कि :

(क) आवेदनकर्ता सहभागिता का इन शर्तों को पूरा कता है तथा

(ख) GFTN भारत में आवेदनकर्ता की सहभागिता द्वारा WWF तथा आवेदनकर्ता के बीच बने संबंध, WWF के उद्देश्य, छाप, ख्याति तथा निष्कपटता की छवि को क्षतिग्रस्त न कर के उसके लिए लाभप्रद होंगे तो प्रबंधक आवेदनकर्ता को एक सहभागी के रूप में स्वीकार करके, सहभागिता समझौते पर आवेदनकर्ता के साथ हस्ताक्षर करके, सहभागिता को औपचारिक रूप दे सकता है।

यदि प्रबंधक आवेदनकर्ता का सहभागी के रूप में चयन न चाहे, तो प्रबंधक अनिवार्यतः आवेदक संस्था को कारणों से अवगत कराते हुये बतायेगा कि संस्था GFTN भारत में सहभागिता पर पुर्नविचार हेतु आवेदन के पूर्व क्या कदम उठाये।

6.5 सहभागिता की अवधि

सहभागिता सम्झौते की वैद्यता की अवधि, परस्पर स्वीकार्य, तथा समझौते में उल्लिखित होगी, इसका कार्यकाल का विस्तार सहभागिता के नियमों के अनुपालन तथा प्रासंगिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वन को देखते हुए प्रबंधक द्वारा सहभागी को एक लिखित विज्ञप्ति के माध्यम से अतिरिक्त सत्रों हेतु किया जा सकता है।

7. सहभागियों का निलम्बन

प्रबंधक किसी सहभागी को अधोलिखित कारणों से GFTN भारत की सहभागिता से निलंबित कर सकता है :–

(क) निर्धारित समय सीमा में, किसी अप्रमाणित वन सहभागी अथवा क्रय–विक्रय सहभागी द्वारा कार्य योजना की गतिविधियों का अप्रयाप्त निष्पादन तथा लक्ष्यों का प्राप्त न किया जाना, सिवाय उस स्थिति के जब सहभागी इस बात का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर दे कि चूक के कारण सहभागी के नियंत्रण के परे हैं।

(ख) सहभागी का वन प्रमाणीकरण अथवा हस्तगति श्रृंख्ला प्रमाणीकरण निलंबित कर दिया जाये।

(ग) सहभागी GFTN की संचार संहिता पद्धति का उल्लंघन करे अथवा GFTN भारत में अपनी सहभागिता स्थिति के विषय में या उसे प्रभाव के बारे में भ्रांति पूर्ण वक्तव्य दे, सिवाय उन परिस्थितियों के जब सहभागी द्वारा समुचित एवं प्रासंगिक दिशा परिवर्तन अथवा उपचार हेतु प्रयास के माध्यम से स्थिति का सुधार किया गया हो।

(घ) सहभागी द्वारा प्रबंधक को त्रुटिपूर्ण सूचना दी जाये।

(ड) सहभागी देय तिथि तक सहभागिता शुल्क के भुगतान में असमर्थ हो।

(च) सहभागी अन्य किसी प्रकार से सहभागिता के नियमों का उल्लंघन करे।

7.2 <u>निलम्बन अधिसूचना</u>

कारणों की उपस्थित पर संतुष्ट होने की दशा में, प्रबंधक, सहभागी को प्रेषित एक लिखित अधिसूचना द्वारा, सहभागी को GFTN भारत से निलंबित कर सकता है। इस अधिसूचना में अनिवार्यतः निलंबंन के कारणों को स्पष्ट करते हुए उन शर्तों की ओर इंगित करना है जिनके पूरे होने पर निलंबन वापस लिया जा सकता है। सहभागी निलंबन सूचना के निर्गत होने के संबंध में पुर्नविचार हेतु आवेदन कर सकता है। (देखें धारा 9 जो आगे है)

7.3 <u>निलम्बन का प्रभाव</u>

निलंबित सहभागी को न तो GFTN भारत की सहभागिता से जुड़ी किसी सेवा या उससे जुड़े विशेषाधिकार का पात्र होगा न ही अपनी सहभागी के रूप का मान्यता का अधिकृत। निलंबित सहभागी का नाम GFTN भारत की वेबसाइट पर प्रदर्शित सहभागियों की सूची से हटा दिया जायेगा।

7.4 <u>निलम्बन पर पुर्नविचार</u>

निलंबित सहभागी प्रबंधक को प्रेषित पत्र जिसमें उल्लेख हो कि किस प्रकार निलंबन के कारणों का उन्मूलन कर दिया गया है – के माध्यम से निलम्बन वापस लेने हेतु आवेदन कर सकता है।

7.5 <u>निलंबन निरस्त्रीकरण</u>

यदि प्रबंधक संतुष्ट है कि उन शर्तों का अनुपालन हो गया है कि जिनके पूर्ण होने पर निलंबन का निरस्त्रीकरण किया जा सकता है, तो प्रबंधक सहभागी को संबोधित एक लिखित अधिसूचना द्वारा निलंबन को निरस्त कर सकता है। शर्तों का अनुपालन प्रबंधक द्वारा लिखिति रूप से स्पष्ट समय सीमा में न होने की स्थिति में, सहभागिता समाप्त कर दी जायेगी।

7.6 <u>सहभागी द्वारा व्यय का वहन</u>

सहभागी को निलंबित एवं पुर्नस्थापित करने के कार्य में WWF भारत, GFTN भारत अथवा इनके संविदाधारकों द्वारा किये गये समस्त तर्कसंगत व्यय का वहन सहभागी द्वारा किया जायेगा।

8. सहभागितावसान

प्रबंधन **GFTN** भारत में किसी सहभागिता का अवसान निम्नवत आधारों पर कर सकता है :–

(क) सहभागी, निलंबन अधिसूचना में उल्लिख्ति निलंबन निरस्त्रीकरण शर्तों के अनुपालन में असफल रहता है अथवा निलंबन की अवधि के दौरान स्वयं को एक सहभागी के रूप में प्रस्तुत करता है

(ख) सहभागी कार्य व्यापार बन्द कर देता है।

(ग) सहभागिता समझौता कालातीत हो जाता है और प्रबंधक के पास यह विश्वास करने का समुचित आधार है कि सहभागी अब सहभागिता नियमों के अनुपालन में असमर्थ है।

8.2 अवसान अधिसूचना

यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा करने हेतु कारण हैं, प्रबंधक, सहभागी को एक लिखित अधिसूचना द्वारा, GFTN भारत में उसकी सहभागिता समाप्त कर सकता है। अधिसूचना में सहभागिता की समाप्ति के कारणों का उल्लेख आवश्यक है। निष्कासित सहभागियों के नाम GFTN भारत की वेबसाइट पर सहभागियों की सूची से हटा दिये जायेंगे। सहभागी अवसान अधिसूचना निर्गति के संबंध में अपील दायर कर सकता है (देखें धारा 9 आगे)। निष्कासित सहभागी, कम से कम, अवसान अधिसूचना की तिथि से, 12 मास की अवधि पूर्ण होने के पश्चात GFTN भारत में सहभागिता हेतु पुर्नावेदन कर सकता है।

8.3 त्याग पत्र

सहभागी, किसी भी समय प्रबंधक को प्रेषित लिखित सूचना द्वारा GFTN की सहभागिता का त्याग कर सकता है

9. अपील तथा तटस्थ विवाद निवारण

9.1 अपील प्रक्रिया

निलम्बन अथवा निष्कासन की अधिसूचना की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर, सहभागी अपना आश्य प्रबंधक को प्रेषित एक लिखित सूचना द्वारा व्यक्त करते हुए, अधिसूचना के निर्गमन के विरूद्ध अपील कर सकता है।

अपील करने के अपने आश्य को व्यक्त करने के चौदह दिनों के भीतर सहभागी अपील के आधार को दर्शाने वाला एक लिखित वक्तव्य, प्रासंगिक तथ्यों तथा आंकड़ों सहित, अपील प्रक्रिया के दौरान विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

प्रबंधक अपीलकर्ता के अपील के विलेख, तथा निलम्बन अथवा निष्कासन के निर्णय के पक्ष में वक्तव्य तथा अभिलेख GFTN भारत के प्रमुख को अग्रसरित करेगा।

9.2 अपील पर निर्णय

अपील पर निर्णय लेने के पूर्व, GFTN भारत का प्रमुख, एक तटस्थ विवाद निवारण की इच्छा व्यक्त करसकता है तथा / अथवा अपीलकर्ता एवं प्रबंधक से अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है।

GFTN भारत के प्रमुख का निर्णय अंतिम तथा अपीलकर्ता एवं प्रबंधक दोनों हेतु बद्ध होगा। अपील पर एक बार निर्णय होने जाने के पश्चात उभय पक्षों द्वारा कोई भी प्रतिदावा, निर्णय में संशोधन अथवा बदलाव हेतु, नहीं किया जा सकता है।

9.3 अपील सफल होने पर कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं

अपील सफल होने पर, निलम्बन अथवा निष्कासन के फलस्वरूप होने वाले किसी भी व्यय अथवा हानि के लिए, प्रबंधक, उसके नियोक्ता अथवा संविदाधारक के विरूद्ध कोई भी दावा नहीं किया जा सकता है।

10. वन सहभागियों हेतु समय बद्धता से छूट

10.1 समयबद्धता से छूट की प्रक्रिया

यदि किसी सहभागी अथवा आवेदनकर्ता को आभास होता है कि उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों वश, उसके द्वारा सहभागिता नियमावली की धारा 4 में वर्णित फल की प्राप्ति हेतु निर्धारित समय सीमा की शर्त का पालन संभव नहीं होगा, तो वह सहभागी अथवा आवेदनकर्ता समय बद्धता में ऐसी छूट हेतु आवेदन कर सकता है जो वांछित परिणाम की प्राप्ति हेतु आवश्यक हो।

समयबद्धता में छूट हेतु आवेदन, प्रासंगिक फल की प्राप्ति हेतु पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम 60 दिन पूर्व, लिखित रूप में प्रबंधक को अनिवार्यतः प्रेषित होना चाहिए तथा इसके साथ एक वक्तव्य एवं फल की प्राप्ति में बाधक बाहय कारणों व परिस्थितियों को दर्शाने वाले प्रासंगिक अभिलेखों का होना भी अनिवार्य है।

समयबद्धता में छूट हेतु आवेदन में अनिवार्यतः उन कार्यों का उल्लेख होना चाहिए जो सहभागी अथवा आवेदनकर्ता, प्रासंगिक बाहय तथ्यों एवं परिस्थितियों से निपटने हेतु करेगा।

10.2 समयबद्धता में छूट का निर्णय

समयबद्धता में छूट के आवेदन को ठुकराने अथवा उस के पक्ष में GFTN भारत के पास अनुमोदन प्रेषित करने का प्रबंधक को विवेकाधिकार है। यदि प्रबंधक समय बद्धता में छूट के आवेदन को ठुकराता है तो वह अनिवार्यतः सहभागी अथवा आवेदनकर्ता को कारण स्पष्ट करते हुए इसकी लिखित सूचना देगा।

GFTN भारत का प्रमुख प्रबंधक द्वारा समयबद्धता में छूट के अनुमोदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है और सह अनिवार्यतः सहभागी अथवा आवेदनकर्ता को निर्णय की लिखित सूचना तर्क सहित देगा।

समयबद्धता में छूट, सहभागी अथवा आवेदनकर्ता द्वारा सूचना में दर्शायी गई शर्तों के अधीन दी जा सकती है। समयबद्धता में छूट प्रदत्त किये जाने की स्थिति में समयबद्धता छूट की सूचना का स्वरूप एक सार्वजनिक अभिलेख का है।

11. शिकायतें :

11.1 शिकायत करना

GFTN भारत के विरूद्ध शिकायत करने हेतु शिकायत पत्र WWF इन्टरनेशनल के वन कार्यक्रम निदेशक को संबोधित होगा और ऐसी स्थिति में वन कार्यक्रम का एक नामित स्टाफ सदस्य GFTN भारत की सहयोगी इकाई अथवा GFTN भारत के प्रमुख की भूमिका का निम्नवर्णित शिकायत प्रक्रिया में वहन करेगा।

11.2 शिकायत प्रक्रिया

प्रबंधक अथवा चयनित अधिकारी शिकायत को सम्बद्ध शिकायत फाइल में रखने तथा शिकायत पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की व्यवस्था करेगा।

प्रबंधक अथवा चयनित अधिकारी शिकायतकर्ता को सूचित करेगा कि शिकायत पर कार्य हो रहा है।

आवश्यकता पड़ने पर शिकायत के पूर्ण स्वभाव व परिधि सुनिश्चित करने हेतु, अथवा अतिरिक्त जानकारी हेतु संपर्क भी किया जा सकता है।

प्रबंधक अथवा चयनित अधिकारी शिकायतकर्ता को जांच के परिणाम एवं उसके फलस्वरूप की जाने वाली कारवाई से अवगत करायेगा।

12. सार्वजनिक जानकारी एवं गोपनीयता

12.1 सार्वजनिक सूचना अभिलेख

सहभागिता समझौते पर हस्ताक्षर से पूर्व, इच्छुक सहभागी एवं प्रबंधक संयुक्त रूप से, सहभागी तथा उसकी GFTN भारत में सहभागिता के बारे में एक जन सूचना अभिलेख की विषयवस्तु पर सहमत होंगे, तथा इस उद्देश्य से, प्रबंधक द्वारा किये गये तर्कपूर्ण अनुरोध के माध्यम से मांगी गई जानकारी सहभागी आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगा।

अनुमोदित विषय वस्तु एक जन सूचना होगी जिसे प्रकाशित इन्टरनेट पर प्रेषित अथवा प्रबंधक के विवेक के अनुसार तृतीय पक्षों को निर्गत किया जा सकता है।

12.2 सार्वजनिक सूचना अभिलेख का वार्षिक अद्यतन

सार्वजनिक सूचना अभिलेख का वार्षिक अद्यतन अनिवार्य है तथा इसमें सहभागी द्वारा कार्ययोजना के कार्यान्वन एवं इन नियमों के अंतर्गत अन्य दायित्वों की दिशा में की गई प्रगति का सारांश आवश्यक है।

12.3 परिस्थिति परिवर्तन

सार्वजनिक सूचना अभिलेख में वर्णित किसी भी तथ्य अथवा परिस्थिति में द्रव्यिक परिवर्तन की दशा में सहभागी अनिवार्यतः इसकी सूचना परिवर्तन के 60 दिनों के भीतर प्रबंधक को देगा। प्रबंधक इस परिवर्तन को प्रतिबिम्बित करने हेतु सार्वजनिक सूचना अभिलेख में संशोधन कर सकता है।

12.4 गोपनीय जानकारी

सहभागी व्यापार हेतु आवश्यक गोपनीयता की रक्षा हेतु, WWF भारत, GFTN भारत के स्टाफ सदस्यों एवं संविदाधारकों से एक गोपनीयता करार पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध कर सकता है, यदि सहभागिता के नियमों अथवा सहभागिता समझौते के विरूद्ध न हो।

सार्वजनिक सूचना अभिलेख की विषयवस्तु को गोपनीय नहीं माना जायेगा।

13. GFTN संचार संहिता व्यवहार

यह संचार संहिता GFTN में सहभागिता से सम्बद्ध दावों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये है।

GFTN में सहभागिता, किसी भी प्रकार से बाजार में, विशेषकर उपभोक्ताओं में जिनके पास विश्वसनीय प्रमाणीकरण के वक्तव्य एवं नामपत्र हैं। भ्रम उत्पन्न करने

वाली नहीं होनी चाहिए। इस कारण से न तो उत्पादन पर कोई दावा होना चाहिए और न ही WWF अथवा GFTN का पहचान चिन्ह किसी उत्पाद पर लगाया जाये। GFTN में भागीदारी वन उत्पादों के विश्वसनीय प्रमाणीकरण का विकल्प न होकर इस लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन मात्र है।

GFTN की दीर्घकालीन विश्वसनीयता हेतु यह भी अति आवश्यक है कि आवेदनकर्ता से सम्बद्ध दावों और सहभागी के पद की स्थिति पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाये, ताकि यह सुनिश्चित हो कि वह सत्य एवं सत्यापन योग्य है। यह संचार संहिता, बाहरी पक्षों से संवाद में GFTN प्रबंधन तथा सहभागियों के दायित्वों को परिभाषित करती है।

यह संचार संहिता ISO 14020 एवं ब्रिटेन सरकार के यू.के. ग्रीन क्लेम कोड पर इस प्रकार आधारित है कि GFTN की सहभागिता से सम्बद्ध अनुज्ञापित संवाद ''सत्यापन योग्य, सही और भ्रम न फैलाने वाला'' हो।

यू.के. ग्रीन क्लेम कोड

http://www.defra.gov.uk.uk/environment/consumerprodu/gce से प्राप्त किया जा सकता है।

13.2 **WWF की अनुज्ञापत्रित सामग्री तथा "पान्डा" पहचान चिन्ह का उपयोग**

GFTN सहभागी अपने व्यापारिक नामों में या अपने व्यापार की अन्यथा पहचान हेतु, WWF की कापीराइट प्राप्त अथवा व्यापार चिन्हित सामग्री का कदापि उपयोग नहीं करेंगे।

WWF के "पाण्डा" पहचान चिन्ह अथवा WWF के किसी अन्य कापीराइट प्राप्त अथवा व्यापार चिन्हित सामग्री का, WWF की अनुमति के बिना, उपयोग करने का कोई अधिकार, GFTN सहभागियों को नहीं है।

WWF इंटरनेशनल अथवा WWF राष्ट्रीय के साथ अनुज्ञापन अथवा भागीदारी का एक अलग समझौता करने वाली कम्पनी को WWF के किसी व्यापार चिन्ह के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।

यदि कोई कम्पनी WWF के किसी राष्ट्रीय कार्यालय के साथ अनुज्ञापन संविदा हेतु इच्छुक हो तो उसे WWF राष्ट्रीय कार्यालय के विपणन विभाग से संपर्क करना होगा।

सहभागिता समझौता अथवा प्रमाणपत्र GFTN – भारत द्वारा निर्गत किया जायेगा। इसकी अतिरिक्त प्रतियां आवेदन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं।

13.3 आवेदनकर्ताओं तथा सहभागियों द्वारा दावे

कोई भी सहभागी अपनी प्रतिष्ठा से संबंधित दावा उत्पाद पर, उत्पाद से परे, सार्वजनिक, अथवा व्यापार–से–व्यापार तक नहीं करेगा।

सहभागी, उत्पाद पर दावा केवल धारा 13.4 के प्राविधानों के अनुसार कर सकता है।

सहभागी अपनी सहभागिता स्थिति, व्यापार संबंध एवं उत्पाद से संबंधित दावे, उत्पाद के परे कर सकता है जैसा कि उपधाराओं 13.5, 13.6 एवं 13.7 में प्रावधान है।

13.4 उत्पाद पर दावे

सहभागी उत्पाद पर अपनी सहभागी के रूप में प्रतिष्ठा से संबंधित कोई भी दावा नहीं करेगा।

सहभागी उत्पाद पर, उत्पाद में प्रयुक्त काष्ठ सामग्री के पर्यावरणीय वर्ग के बारे में दावा कर सकता है (यथा उत्पाद प्रतिष्ठित एवं अनुज्ञापित स्त्रोत से प्राप्त काष्ठ से निर्मित है) वह भी तब जब एक तटस्थ परीक्षणकर्ता (जैसे कि कोई मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्था) पर्यावरणीय वर्ग, हस्तगति श्रृंख्ला अभिलेखों की सच्चाई तथा श्रृंख्ला के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर, जहां अन्य स्त्रोतों से प्राप्त उत्पाद के मिश्रण की संभावना है, नियंत्रण की पुष्टि करें। ऐसे दावों में आवेदनकर्ता अथवा सहभागी की प्रतिष्ठा, WWF तथा GFTN का कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए।

13.5 उत्पाद से परे दावे – सहभागिता

सहभागी के वर्ग से सम्बद्ध सूचना केवल उत्पाद से परे सार्वजनिक एवं व्यापार–से–व्यापार–वक्तव्य, तथा बढ़ावा देने वाली सामग्री तक सीमित है। सहभागी यह दावा कर सकता है कि वह GFTN में सहभागी है तथा दायित्वपूर्ण क्रय तथा / अथवा GFTN की सहभागिता की परिधि में आने वाले संचालन में वह दायित्वपूर्ण वानिकी के प्रति कटिबद्ध है। उपयोग के पूर्व, सभी दावों का प्रबंधक द्वारा लिखित अनुमोदन अनिवार्य है।

इस प्रकार के दावों वाली सूचना की अनुमति है :–

- वार्षिक पर्यावरणीय संस्थागत रिपोर्ट में
- कम्पनी अथवा वेबसाइट के पर्यावरणीय संस्थागत नीति से संबंधित खण्ड में
- कम्पनी की उत्पाद सूची तथा फोल्डर में (जो उत्पाद के साथ न हो)

- व्यापार से व्यापार को भेजे तदर्थ पत्रों एवं प्रस्तुतिकरण में
- गैर सरकारी संगठनों तथा ग्राहकों से प्राप्त प्रश्नावलियों में
- बैनर / पोस्टरों में जो स्टोर अथवा व्यापारिक प्रदशर्नियों में हो।
- प्रबंधक द्वारा अनुमोदित अन्य उपयोगों में इन सभी सूचनाओं में GFTN वेबसाइट का हवाला होना चाहिए।

उदाहरण

''(नाम ... कम्पनी) WWF अंतर्राष्ट्रीय वन एवं व्यापार व्यवस्था (GFTN) की GFTN भारत के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रय एवं भारत में वन से सम्बद्ध कार्यों हेतु सहभागी है। GFTN काष्ठ की अवैधानिक कटान के उन्मूलन तथा वन प्रबंधन में सुधार हेतु WWF की पहल है। सहभागी दायित्वपूर्ण वानिकी एवं विश्वसनीय प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के प्रति कटिबद्ध है। GFTN पर अधिक जानकारी हेतु देखें www.gftn.panda.org

13.6 उत्पाद से परे दावे : व्यापार संबंध

सहभागी, यदि वन–उत्पाद अन्य सहभागियों से क्रय कर रहा हो, तो वह इसका दावा उत्पाद से परे, सार्वजनिक रूप से विश्व भर में कर सकता है। ऐसे दावे अनिवार्यतः उत्पाद की संभावना का विशेष उल्लेख करते हुए प्रबंधक द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।

इस प्रकार की लिखित सूचना की अनुमति है :–

- वार्षिक पर्यावरणीय संस्थागत रिपोर्ट में
- व्यापार से व्यापार को भेजे गये तदर्थ पत्रों एवं प्रस्तुतिकरण में
- बैनर / पोस्टरों में जो स्टोर अथवा व्यापारिक प्रदर्शनियों में हो।
- गैर सरकारी संगठनों एवं ग्राहकों द्वारा भेजी प्रश्नावलियों में
- प्रबंधक द्वारा अनुमोदित अन्य उपयोगों में
- इन सभी सूचनाओं में GFTN की वेबसाइट का हवाला होना चाहिए।

उदरहरण

हम (वन उत्पाद) के क्रय हेतु उन स्त्रोतों को वरीयता देते हैं जो विश्वसनीय रूप से प्रमाणित हैं अथवा GFTN के साथ विश्वसनीय प्रमाणीकरण के पथ पर सत्यापन योग्य प्रगति कर रहे हैं GFTN पर अधिक जानकारी हेतु देखें www.gftn.panda.org**

13.7 उत्पाद से परे – व्यापार से व्यापार दावे : उत्पाद

सहभागी अपने द्वारा समूचे विश्व में क्रय अथवा विक्रय किये जा रहे उत्पादों की पर्यावरणीय स्थिति की लिखित जानकारी उत्पाद से परे दे सकता है। पर्यावरणीय स्थिति वर्ग शब्दावली, ठीक GFTN द्वारा अनुमोदित परिभाषाओं के अनुसार होनी चाहिए। पर्यावरणीय स्थिति वर्ग अनिवार्यतः एक कुशल तटस्थ परीक्षक (जैसे कि एक मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्था) द्वारा सत्यापित होना चाहिए। इन दावों का प्रबंधक द्वारा लिखित पूर्व अनुमोदन तथा यह विशेष उल्लेख कि दावा किस उत्पाद हेतु है आवश्यक है।

इस प्रकार के लिखित दावे व्यापार से व्यापार ''तदर्थ'' लिखित पत्रों, प्रस्तुतिकरण में, तथा गैर सरकारी संगठनों एवं ग्राहकों की प्रश्नावलियों में अनुज्ञापित हैं परन्तु विक्रय बिन्दु पर नहीं। ऐसे सभी संवादों में GFTN की वेबसाइट का हवाला अनिवार्य है।

उदाहरण सं. 1

''हमारी कम्पनी की काष्ठसामग्री की आपूर्ति का आधार 95 प्रतिशत GFTN द्वारा परिभाषित ''परिचित अनुज्ञापित स्त्रोत'' हैं। GFTN पर अधिक जानकारी हेतु www.gftn.panda.org देखें। यह दावा गोपनीय है और इसको तृतीय पक्षों को अग्रसर करना वर्जित है।''

उदाहरण सं. 2

''हम (उत्पादों की सूची) GFTN द्वारा अनुमोदित परिभाषाओं के अनुसार उन ही स्त्रोतों से क्रय / आपूर्ति की व्यवस्था करते हैं जो स्वतंत्र रूप से (पर्यावरणीय स्थिति वर्ग) सत्यापित हैं। GFTN पर अधिक जानकारी हेतु www.gftn.panda.org देखें। यह दावा गोपनीय है तथा इसका तृतीय पक्षों को अग्रसर करना वर्जित है।''

14 परिभाषायें

वन व्यापार व्यवस्था (FTN) आवश्यकतानुसार इन परिभाषाओं की स्थानीय व्याख्या हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध करायेगा।

आवेदनकर्ता का अर्थ है एक संस्था जो धारा 6.2 के अंतर्गत GFTN में सहभागिता हेतु एक आवेदक के रूप में पंजीकृत एवं स्वीकृत हो परन्तु अभी तक धारा 6.5 के अंतर्गत सहभागिता समझौता हस्ताक्षरण के माध्यम से GFTN में सहभागी के रूप में स्वीकार्य न हो।

व्यापार से व्यापार (B2B) दावा उत्पाद के विषय में अन्य व्यापारी से (यथा : बीजक में लिखे कथन द्वारा) किया गया दावा, अन्य व्यापारी का अर्थ अन्य वर्ग अथवा व्यक्तिगत ग्राहक नहीं।

व्यापार छाप कीर्ति का अर्थ है पर्यावरणीय अथवा संस्थागतीय सामाजिक दायित्वों से संबंधित कम्पनी की मान्यताओं को बढ़ावा देना।

दावा : से तात्पर्य है, संस्था द्वारा अपने उत्पाद, नीतियों व पद्धतियों को बढ़ावा देने वाला कथन।

उपभोक्ता : का अर्थ है उत्पाद का ऐसा क्रेता जिसे पर्यावरणिक मुद्दों की कोई विशेष जानकारी न हो (व्यवसायिक क्रेता से भिन्न)

विश्वसनीय रूप से प्रमाणित का अर्थ है

मानदण्ड

स्त्रोत वन, विश्वसनीय प्रमाणीकरण प्रणाली द्वारा प्रमाणित एवं सुप्रबंधित हो

सत्यापन की शर्ते

यह पुष्टि कि स्त्रोत वन दोहन के समय एक विश्वसनीय प्रमाणीकरण प्रणाली के अंतर्गत, निर्गत वन प्रबंधन प्रमाण पत्र युक्त है।

यह पुष्टि कि उत्पादों तथा प्रासंगिक बीजकों पर, विश्वसनीय वन–प्रमाणीकरण प्रणाली के अनुसार, एक मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्गत वैध हस्तगति श्रंख्ला संख्या छपी है।

विश्वसनीय हस्तगति श्रृंख्ला प्रमाणीकरण का अर्थ है विशिष्ट उत्पादों का प्रमाणीकरण जिसके द्वारा एक तटस्थ परीक्षक (जैसे कि एक मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्था) उत्पाद का संबंध उसके उत्पादन व नियंत्रण से होते हुए स्त्रोत

सामग्री तक खोज सके सत्यापन की शर्तों हेतु देखें ''विश्वसनीय रूप से प्रमाणित'' – ऊपर

विश्वसनीय वन–प्रमाणीकरण का अथ है (Framework for assessing credible forest certification systems / schemes, WWF/World Bank July 2006 से उध्दृत) निम्नलिखित मानदण्डों को WWF के विचार में समुचित रूप से पूरा करने वाली एक प्रमाणीकरण प्रणाली के तहत, तटस्थ परीक्षक द्वारा किसी वन–खण्ड का ''सुप्रबंधित'' श्रेणी में प्रमाणीकरण

- प्रमाणीकरण मान्यताओं तथा स्तर निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय ढांचे से समरूपता
- विश्वव्यापी सिद्धांतों जो आर्थिक, पर्यावरणीय, परस्पर बराबरी के आयामों में संतुलन एवं मैत्री की आवश्यकताओं में संतुलन बनाते हैं के साथ समरूपता
- राज्यपालन एवं मानकों की स्थापन में सभी प्रमुख जो खिमधारक समूहों की अर्थपूर्ण एवं परस्पर बराबरी की सहभागिता
- व्यापार में अनावश्यक अड़चनों से परहेज
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल तटस्थ एवं मापनीय कार्य मानक
- निहित स्वार्थ वाले पक्षों के साथ टकराव से स्वतंत्र प्रमाणीकरण निर्णय
- निर्णय एवं जन–सूचना में पारदर्शिता
- वन प्रबंधन कार्य निष्पादन तथा हस्तगति श्रृंख्ला का स्वतंत्र एवं विश्वसनीय आंकलन
- वन प्रबंधन प्रगति की अनिवृत प्राप्ति
- सभी पक्षों हेतु पहुंच एवं मित्तव्ययता की सुविधा
- सवैक्षिक सहभागिता

पर्यावरणीय स्थिति का अर्थ है किसी उत्पाद में काष्ठ के स्त्रोत समूह का पद्नाम। WWF GFTN के अनुसार समूहों के नाम निम्नवत हैं :–

- अपरिचित अथवा अवांछनीय
- परिचित
- परिचित अनुज्ञापित
- प्रमाणीकरणोन्मुख
- विश्वसनीयतापूर्ण प्रमाणित
- पुर्नचक्रित

प्रथम पक्ष परीक्षक का तात्पर्य है अपना आंकलन स्वयं करने वाली संस्था। यह स्वांकलन है

एफएमयू का अर्थ है वन प्रबंधन इकाई

वन सहभागिता का अर्थ है GFTN सहभागी जो वन स्वामी अथवा प्रबंधक हो

वन उत्पाद से तात्पर्य है काष्ठ से बना अथवा काष्ठयुक्त उत्पाद

जैविक जीव कोश्कीय आधार पर संशोधित का अर्थ है।

इन विटरो न्यूकलिक एसिड तकनीक अथवा रिकाम्बीनेन्ट डी एन ए से उत्पन्न जीव कोशीय अवयव तथा न्यूकिलिक एसिड का कोषिकाओं में सीधा प्रवेश कराना अथवा कोषिकाओं को उनकी वैज्ञानिक श्रेणियों से मुक्त करने वाला विलय तथा उसके आगे उत्पन्न कोशिकायें। यह परिभाषायें किसी अन्य मामले में लागू नहीं हैं। अवयव जो गति परिवर्तन की तकनीक, म्यूटाजेनेसिस, जेनेटिक मारकर्स तथा जीव कोश्कीय अनुक्रम से उत्पन्न हों जीव कोशिकीय आधार पर संशोधित नहीं मानी जा सकता जब तक कि प्रजनन प्रक्रिया में इनविटरो न्यूकिलक एसिड तकनीक अथवा कोषिका विलय की तकनीक का प्रयोग न हो (उध्दृत An Explanatory Guide to the cartagena Protocol on Biosafety, IUCN Environmental Policy and Law paper no. 46 (2002) प्रकाशक IUCN, इन्वायरनमेन्टल लॉ सेन्टर)

दोहन शुल्क का अर्थ है वन स्त्रोतों के दोहन हेतु

स्त्रोत स्वामी या सरकारी संस्था जैसे प्रांतीय अथवा राष्ट्रीय सरकार को देय शुल्क, उदाहरणार्थ कन्सेशन एरिया कर तथा रायल्टी का भुगतान

उच्च संरक्षण मान (फारेस्ट स्वीवर्डशिप काऊंसिल की परिभाषा के अनुसार) का अर्थ है निम्नलिखित मानों में से कोई एक

- जैविक विविधता मान की बहुतायत (जैसे ऐंडेमिज्म, क्षतियोन्मुख प्रजातियों, रेफूजिया) वाले अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वन क्षेत्र

- अंतरार्ष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृहद स्थलप्रकृतीय स्तर के वन क्षेत्र जो प्रबंधक इकाई के (आंशिक अथवा पूर्ण रूपेण) भीतर हों और जहां फैलाव तथा बहुतायत के प्राकृतिक ढंग से अधिकतर (यदि सभी नहीं) प्राकृतिक रूप से उत्पन्न प्रजातियों की अच्छी जनसंख्या जो।

- वन क्षेत्र जो सम्मिलित या जिनमें सम्मिलित हों, दुर्लभ, हानिग्रस्त अथवा क्षतियोन्मुख पर्यावरण तंत्र।

- वन क्षेत्र जो कांटे की परिस्थितियों में प्रकृति की आधारभूत सेवायें उपलब्ध कराते हों (जैसे कि, झरने की रक्षा, कटान पर नियंत्रण)
- वन क्षेत्र जो स्थानीय समुदायों की मूल आवश्यकतायें पूरी करते हों (जैसे कि जीवन यापन तथा स्वास्थ्य)
- स्थानीय समुदायों की पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान हेतु महत्वपूर्ण वन क्षेत्र (स्थानीय समुदायों की सहायता से चयनित सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक तथा धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र)

परिचित स्त्रोतों से तात्पर्य है :—

<u>मानदण्ड</u>

- क्रेता को जानकारी हो कि समूचे काष्ठ की उपज कहां हुई थी तथा वह अवयव / अवयवों के दोहन की पहचान कर सकें।
- क्रेता की जानकारी के अनुसार स्त्रोत अवांछित नहीं है / हैं।

<u>सत्यापन की शर्तें</u>

- स्त्रोत—वन, स्त्रोत के अवांछनीय होने की संभावना के समतुल्य हद तक अचूक पहचान योग्य हैं — उदाहरण हेतु यदि संभावना कम है तो स्थल की वृहदता एक जिले के बराबर हो सकती है, पर जहां स्त्रोत के अवांछनीय होने की अधिक संभावना है, वहां विशिष्ट वन प्रबंधन इकाई पहचान योग्य होनी चाहिए।

  — काष्ठ की यात्रा के पथ की खोज क्रेता से लेकर स्त्रोत इकाई (इकाईयों) तक एक अविक्षिप्त श्रृंख्ला द्वारा संभव हो।

  — स्त्रोत स्थल, स्त्रोत इकाई तथा आपूर्ति श्रृंख्ला के प्रत्येक बिचौलिये की पहचान करने वाले अभिलेख उपलब्ध कराये जायें।

  — क्रेता के पास ऐसी प्रणाली उपलब्ध एवं कार्यरत है जिससे समय समय पर इस अभिलेख की विश्वसनीयता जांची जा सके।

परिचित अनुज्ञापित स्त्रोतों का तात्पर्य है :—

<u>मानदण्ड</u>

— क्रेता की जानकारी हो कि काष्ठ की उपज कहां की है तथा वह दोहन करने वाली इकाई / इकाइयों की पहचान कर सके।

– काष्ठ का उद्‌गम ऐसी इकाई अथवा इकाइयों से हो जिनके पास उस वन प्रबंधन इकाई(यों) से जहां से काष्ठ उपजित है, काष्ठ दोहन के वैधानिक अधिकार हों।

<u>सत्यापन की शर्तें</u>

– क्रेता से स्त्रोत इकाई अथवा इकाइयों तक एक अविक्षिप्त श्रृंख्ला द्वारा काष्ठ के पक्ष की खोज की जा सके।

– क्रेता को पहुंचाये गये प्रत्येक काष्ठ उत्पाद की पुष्टि ऐसे अभिलेख से हो जो स्त्रोत वन प्रबंधन इकाईयों, स्त्रोत इकाइयों तथा आपूर्ति – श्रृंख्ला के प्रत्येक बिचौलिये की पहचान कर सके।

– क्रेता के पास यह दर्शाने वाले अभिलेख हों कि स्त्रोत इकाईयों को दोहन हेतु वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।

– क्रेता तथा / अथवा उसके आपूर्तिक्रता के पास ऐसी प्रणालियों उपलब्ध एवं कार्यरत हों जिससे समय समय पर अभिलेखों की विश्वसनीयता तथा हस्तगति श्रृंख्ला के नियंत्रण बिन्दुओं की निष्टकपटता परखी जा सके।

आपूर्तिकर्ता इकाई को प्राप्त दोहन के अधिकारों से सम्बद्ध कोई भी विवाद, क्रेता के संज्ञान में आने पर, क्रेता को विवाद की स्थिति के विषय में तथ्य निर्धारण करना चाहिए। किसी इकाई के दोहनाधिकार के दावे मात्र को सत्यापन की संज्ञा नहीं दी जा सकती, यदि इकाई पर लगे वैधानिक सहमति की प्राप्ति संबंधी काष्ठ दोहन के नियमों (जैंसे : परमिट अनुज्ञापन अथवा ऐसे ही कागजात) के उल्लंघन के आरोपों पर वैधानिक प्रक्रिया चल रही हो।

<u>विधियानुसार दोहित</u> का अर्थ है कि दोहन –

– जिस वन प्रबंधन इकाई में काष्ठ की उपज की गई हो वहां प्राप्त दोहन के वैधानिक अधिकार के अधीन, तथा

– वन–स्त्रोतों के दोहन हेतु लागू राष्ट्रीय या राष्ट्र के भीतरी नियमों के अनुसार किया गया हो

<u>विधियानुसार क्रयित / विक्रयित</u> का अर्थ है, कि काष्ठ अथवा काष्ठ से निर्मित उत्पाद

– काष्ठ तथा काष्ठ से बनाये गये उत्पादों के निर्यात संबंधी, निर्यातक देश के विधानों के अनुसार निर्यातित हो, इसमें निर्यात शुल्क, कर आदि शामिल हैं।

– काष्ठ अथवा काष्ठ से बने उत्पादों के आयात संबंधी आयातक देश के नियमों – आयात कर शुल्क आदि के भुगतान सहित आयातित तथा निर्यातक देश के काष्ठ

और काष्ठय उत्पादों के निर्यात संबंधी नियमों – जिसमें निर्यात कर, शुल्क आदि का भुगतान भी सम्मिलित है – के विरूद्ध आयातित न हो।

– व्यापार CITES संबंधी लागू विधानों के अनुसार हो

<u>**दोहन के वैधानिक अधिकार**</u> का तात्पर्य वन प्रबंधन इकाई में

– स्त्रोत स्वामी द्वारा तथा

– वैध परमिट, अनुज्ञापन या ऐसे ही प्राक्रम जो वन स्त्रोतों के प्रबंधन तथा दोहन के नियमों के अंतर्गत निर्गत हो – के आधार पर दिया गया

दोहन का प्राधिकार

<u>**स्थानीय GFTN कार्यालय**</u> से तात्पर्य है GFTN की राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय शाखा (जैसे GFTN भारत)

<u>**प्रबंधक**</u> का अर्थ है प्रासंगिक स्थानीय GFTN कार्यालय (प्रस्तुत परिस्थिति में GFTN भारत) का प्रबंधक।

<u>उत्पाद से परे दावे</u> ऐसा दावा है जो विक्रेता द्वारा स्वयं के व्यापार चिन्ह की ख्याति को बढ़ावा देता हो। इस दावे का प्रारंभिक श्रोता ''उपभोक्ता'' है। यह दावा किसी भी ढंग से विशिष्ट उत्पाद से सम्बद्ध नहीं है। यह दावा विक्रय बिन्दु पर नहीं किया जाता है।

<u>**उत्पाद पर दावा**</u> : इसका अर्थ है विक्रय बिन्दु पर किया गया उत्पाद विक्रेता का दावा जिसका प्रारंभिक श्रोता उपभोक्ता हो। इस दावे का उद्देश्य उत्पाद की बिक्री तथा विक्रेता के व्यापार चिन्ह की ख्याति की वृद्धि हेतु उत्पाद की पर्यावरणीय विशेषताओं को बढ़ावा देना है।

<u>**विक्रय बिन्दु**</u> से तात्पर्य वह भौतिक स्थल है जहां से माल ग्राहकों को विक्रय किया जाये। उदाहरणार्थ : भण्डार गृह की अलमारी जो उत्पाद के वर्णन अथवा छवि के निकट किसी उत्पाद सूची अथवा वेबसाइट पर बीजक पर हो अथवा उससे सम्बद्ध हो।

<u>**प्रमाणीकरण की दिशा में प्रगति**</u> से तात्पर्य है

<u>**मानदण्ड**</u>

– स्त्रोत का परिचित एवं अनुज्ञापित होना

– स्त्रोत इकाई (इकाइयों) ने वन प्रबंधक इकाई (यों) के विश्वसनीय प्रमाणीकरण की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक रूप से कटिबद्धता व्यक्त की हो।

- यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सभी स्त्रोत–वन–प्रबंधन–इकाईयां, प्रमाणीकरण योग्य हैं तथा प्रमाणीकरण की शर्तों के गैर अनुपालन वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक समुचित योग्यता एवं अनुभव वाले दल द्वारा स्थलीय निरीक्षण हुआ हो। प्रत्येक स्त्रोत इकाईः–

- स्त्रोत वन प्रबंधन इकाई की प्रमाणीकरण प्राप्ति हेतु एक समयबद्ध चरणगत कार्य योजना पर सहमत हो

- अपनी कार्ययोजना के कार्यान्यन की प्रगति पर समय–समय पर जानकारी उपलब्ध कराये, तथा दी गई जानकारी के अनुरूप प्रगति के सत्यापन हेतु तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण के लिए सहमत हो।

- विश्वसनीय वन प्रमाणीकरण एवं चरणबद्ध प्रगति समीक्षा पहल में भाग लें (उदाहरण हेतु इकाई किसी वन व्यापार व्यवस्था (FTN) अथवा उष्ण भूदेश वन न्यास में वन सहभागी हो।

<u>सत्यापन की शर्तें</u>

- प्रमाणीकरण समर्थन पहल द्वारा निर्गत सूचना से यह पुष्टि कि एक निश्चित स्त्रोत इन मानदण्डों को संतुष्ट करता है।

- समूचे काष्ठ अथवा तंतु सूत्र की यात्रा की खोज क्रेता से लेकर स्त्रोत इकाई तक एक अविक्षिप्त हस्तगति श्रृंख्ला के माध्यम से की जा सकती है।

- एक द्वितीय अथवा तृतीय पक्ष के परीक्षक द्वारा हस्तगति श्रृंख्ला अभिलेखों तथा नियंत्रण बिन्दुओं की निष्कपटता की पुष्टि हो।

<u>संरक्षित क्षेत्र</u> से तात्पर्य ऐसे वन क्षेत्र से है जो जैविक विविधता तथा प्रकृतिक एवं सम्बद्ध सांस्कृतिक संपदाओं की रक्षा एवं रखरखाव हेतु समर्पित, तथा वैधानिक अथवा अन्य प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित हो।

<u>संपदा स्वामी</u> का अर्थ है, परंपरागत नियमों के अनुसार वैधानिक रूप से संपति का अधिग्रहण कर्ता जिसे भूमि तथा / अथवा वन प्रबंधन इकाई के भीतर आने वाले वृक्षों पर कार्य का अधिकार हो।

<u>द्वितीय पक्ष परीक्षक</u> का अर्थ है ऐसा परीक्षक जिसका कुछ स्वार्थ उस संस्था में हो जिसका वह परीक्षण कर रहा हो (उदाहरणार्थ : संस्था का ग्राहक) किसी संस्था का उसके आवेदनकर्ता, सहभागी संस्था अथवा प्रबंधक द्वारा आंकलन, द्वितीयपक्ष आंकलन माना जायेगा।

<u>स्त्रोत</u> का तात्पर्य है आपूतिकर्ता इकाई तथा काष्ठ के उद्गम के स्थान का सम्मिश्रण।

स्त्रोत वह स्थल है जहां काष्ठ की उपज हुई है तथा इकाई का कार्य काष्ठ का दोहन है।

<u>तृतीय पक्ष परीक्षणकर्ता</u> का अर्थ है एक व्यक्ति अथवा संस्था जो आंकलन करे तथा आवेदनकर्ता, परीक्षणाधीन सहभागी संस्था, तथा GFTN सभी से मुक्त हो।

परीक्षणकर्ता की स्वतंत्रता पर उसके कार्य हेतु GFTN, आवेदनकर्ता अथवा सहभागी संस्था द्वारा भुगतान किये जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

टिप्पणी : यह परिभाषा ISO/EC 17000:2004 कन्फारमिटी एसेस्मेन्ट – वोकैबलरी एण्ड जनरल प्रिंसीपल्स पर आधारित है।

<u>काष्ठ</u> का अर्थ है लकड़ी, तंतु अथवा अन्य काष्ठीय सामग्री

<u>व्यापार प्रतिभागी</u> का अर्थ है GFTN में सहभागी जो वन उत्पादों का रूपान्तरकर्ता, निर्माण कर्ता, पारखी अथवा अंतउपभोक्ता हो।

<u>अपरिचित स्त्रोत</u> से तात्पर्य ऐसे स्त्रोत से है जो निम्नवर्णित श्रेणियों में से एक अथवा एक से अधिक श्रेणी (यों) में आता हो।

– क्रेता संस्था को न तो यह ज्ञान हो कि समूचा काष्ठ अथवा तन्तु अथवा उसका कोई भाग कहां उगाया गया है तथा वह दोहन इकाई की पहचान भी नहीं कर सकता। स्त्रोत वन अथवा एक अथवा एक से अधिक स्त्रोतवनों (जहां पर कई स्त्रोत हों) की पहचान, स्त्रोत के अवांछनीय होने की संभावना के समतुल्य नहीं है – उदाहरणार्थ यदि यह संभावना कम है तो स्थल का विस्तार एक जनपद के बराबर हो सकता है, परन्तु जहां संभावना अधिक है विशिष्ट वन प्रबंधन इकाई पहचान योग्य होनी चाहिए।

– समूचे काष्ठ अथवा तन्तु की अथवा इनके कुछ अंशों के पथ की, सहभागी से वापस स्त्रोत इकाई तक पहचान हस्तागति की एक अविक्षिप्त श्रंख्ला के माध्यम से नहीं हो सकती।

– सभी स्त्रोत स्थलों, स्त्रोत इकाइयों तथा आपूर्ति श्रंख्ला के प्रत्येक बिचौलिये की पहचान हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

– सहभागी के पास, अभिलेखों की समय समय पर सत्यता की परख हेतु प्रणालियों उपलब्ध तथा कार्यरत नहीं हैं।

<u>अवांछित स्त्रोत</u> का अर्थ है, ऐसा स्त्रोत जो निम्न में से किसी एक अथवा अधिक श्रेणियों में आता हो

– स्त्रोत वन अथवा एक अथवा अधिक स्त्रोत वनों (जहां कई स्त्रोत हों) के बारे में यह जानकारी है कि उनमें उच्च संरक्षण मान विद्यमान हैं – सिवाय इसके कि जहां

- एक विश्वसनीय प्रमाणीकरण प्रणाली के अंतर्गत वन प्रमाणित अथवा प्रमाणीकरण की दिशा में प्रगतिशील हो।
- वन प्रबंधक यह अन्यथा प्रदर्शित कर सकता हो कि वन तथा अथवा उसके चारों ओर के भूस्थल यह सुनिश्चित करते हुए प्रबंधित हैं कि इन मानों की रक्षा हो सके।

- ऐसे स्त्रोत वन अथवा एक या अधिक स्त्रोत वनों में (जहां कई स्त्रोत हों) उच्च संरक्षण मान के विद्यमान होने की आशंका है तथा दोहन करने वाले सहभागी की सहभागिता के प्रारंभ होने के 18 महीने के काल में कोई आंकलन नहीं किया गया हैं

- स्त्रोत वन अथवा एक या अधिक स्त्रोत वनों को (जहां कई स्त्रोत हों) सक्रियता से प्राकृतिक वन से पौधारोपण या अन्य भूमि उपयोग में परिवर्तित किया जा रहा हो, सिवाय उस स्थिति के

  जब यह परिवर्तन शुद्ध सामाजिक तथा पर्यावरणीय लाभ के आधार पर तर्कसंगत हो, साथ ही इस से आसपास के भूक्षेत्र में उच्च संरक्षण मानों की वृद्धि हो रही हो।

- समूचा काष्ठ अथवा उसका कुछ अंश अवैध रूप से दोहित और व्यापाराधीन हुआ हो।

- काष्ठ अथवा तन्तु सम्पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से विवादित हो (अर्थात इसका व्यापार इस ढंग से हुआ हो जिससे हिंसक सशस्त्र विवाद हो सके अथवा राष्ट्रीय अथवा प्रांतीय स्थिरता को खतरा हो)।

- दोहन अथवा रूपान्तर करने वाली इकाई अथवा इकाईयों, या उनसे सम्बद्ध काई राजनैतिक अथवा सैनिक सत्ता, मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हो

- काष्ठ सम्पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से जीवकोषकीय आधार पर संशोधित वृक्षों से हो

- स्त्रोत वन अपरिचित हो

<u>सत्यापित वैधानिक का अर्थ है</u>

- स्त्रोत परिचित एवं अनुज्ञापित हैं

- स्त्रोत इकाई (यों) द्वारा काष्ठ दोहन वैधानिक रूप से किया गया हो।

- सभी दोहन शुल्कों का भुगतान हो चुका हो

– समूचे काष्ठ का व्यापार लागू शुल्क, कर एवं अन्य करों, जैसे निर्यात शुल्क के भुगतान सहित, वैधानिक हो

<u>सत्यापन की शर्तें</u>

– एक तृतीय पक्ष परीक्षक पुष्टि करे कि समूचा काष्ठ अथवा तन्तु वैधानिक रूप से दोहित एवं व्यापाराधीन है तथा सभी दोहन शुल्कों का ठीक प्रकार से भुगतान हुआ है।

– समूचे काष्ठ अथवा तन्तु के पथ की खोज, क्रेता से लेकर वापस स्त्रोत इकाई अथवा इकाइयों तक एक अविक्षिप्त हस्तगति श्रंख्ला के माध्यम से हो सकती है।

– एक तृतीय पक्ष परीक्षक, हस्तगति श्रंख्ला के अभिलेखों और नियंत्रण बिन्दुओं की निष्कपटता की पुष्टि करें।

अधिक जानकारी हेतु कृपया देखें

www.wwfindia.org/gftm